IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(03)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2026/ जयपुर, दिनांक

मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त राजस्थान।

विषय :–पंचायती राज संस्थाओं की साधारण सभा की बैठकें नियमित समयावधि में करवाने बाबत।

पंचायती राज संस्थाओं के संचालन बाबत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–45 के तहत ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठकें प्रत्येक पन्द्रह दिवस में कम से कम एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है। जिसके तहत राज्य में समस्त ग्राम पंचायतों की बैठकें प्रत्येक माह की दिनांक 5 एवं 20 को आयोजित की जाती है। यदि उक्त दिवस के राजकीय अवकाश होने पर आगामी दिवस को आयोजित की जाती है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–46 के तहत पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठकें प्रत्येक मास में कम से कम एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–46 के तहत के तहत जिला परिषद की साधारण सभा की बैठकें प्रत्येक त्रिमास में कम से कम एक बार आयोजित किये जाने का प्रावधान है। विभागीय पत्र क्रमांक एफ.4(13)जिपबैठक/विधि/पंरा/2022/613 दिनांक 24.05.2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि 90 दिवस में बैठकें आयोजित होने से आम जनता की समस्याओं के निराकरण एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की सतत समीक्षा की जाकर इन योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही है। अतः राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि पंचायती राज के सशक्तिकरण को सुदृढ़ कर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य में जिला परिषदों की साधारण सभा की बैठकें कम से कम 45 दिवस के अन्तराल पर आयोजित की जायें तथा इन बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाये।

ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता क्रमशः सरपंच/प्रधान/प्रमुख द्वारा की जाती है। यदि सरपंच/प्रधान/प्रमुख किसी कारणों से अनुपस्थित रहते है तो ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता क्रमशः उप–सरपंच/उप–प्रधान/उप–प्रमुख द्वारा की जायेगी। यदि उप–सरपंच/उप–प्रधान/उप–प्रमुख भी किसी कारणों से अनुपस्थित रहते है तो ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता उस बैठक में उपस्थित क्रमशः वार्ड पंचों/पंचायत समिति सदस्यों/जिला परिषद सदस्यों में से कोई एक को चुन कर उसके द्वारा की जायेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.03.14 18:10:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21046840

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय पंचायती राज संस्थाओं की साधारण सभा की बैठकें नियमित समयावधि में नहीं होने के कारण विभागीय योजनाओं/विकास कार्यों की क्रियान्विति निश्चित समय पर सम्पादित नहीं हो पा रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं की साधारण सभा की बैठकें निश्चित समयावधि के अनुसार करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
4. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त(राजस्थान) ।
6. एसीपी पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2026.03.14 18:10:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21046840